सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-28 अंक-8 22 अप्रैल से 6 मई, 2013 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 1 रुपये

एस.यू.सी.आई.(सी) स्थापना दिवस 24 अप्रैल यथोचित सम्मान के साथ मनाएं

''आज के समाज में मजदूर-किसानों, शोषित-पीड़ित जनता के विक्षोभ के आधार पर क्रान्ति बार बार उभरना चाहेगी, विस्फोट का झौंका सा आता दिखाई पड़ेगा। समाज के अन्दरूनी द्वंद्व बार बार क्रान्तिकारी उफान पैदा कर वर्तमान व्यवस्था को आमूलचूल बदल डालने के लिए ललकारेंगे और हरेक आदमी के जमीर को झकझोरते हुए उनसे बार बार माँग करेंगे कि इन्कलाब होना चाहिए, क्रान्ति की बहुत जरूरत है लेकिन क्रान्ति तब तक नहीं होगी, वह बार बार वापस लौट जाएगी, गुमराह होकर भटक जाएगी, उससे बार बार प्रतिक्रियावादी फायदा उठा लेंगे जब तक कि क्रान्ति का नेतृत्व करने लायक क्षमता सहित मजदूर वर्ग की शक्तिशाली क्रान्तिकारी पार्टी गठित न हो।''

''क्रान्ति और क्रान्तिकारी पार्टी का सवाल एक-दूसरे से ओत प्रोत रूप में जुड़ा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेतृत्व देने लायक क्षमता लिए हुए क्रान्तिकारी पार्टी तैयार हुए बिना ही क्रान्ति हो गई हो। ऐसा इतिहास में न कभी हुआ,, न ही कभी होता और न ही कभी होगा।''

— कॉमरेड शिवदास घोष

आरक्षण नीति : एक खुलासा

जन साधारण के विभिन्न तबकों की खातिर रोजगारों, पदोन्नति और शिक्षा में जाति, जनजाति, धर्म और यहां तक कि लिंग के आधार पर आरक्षण के लिए शोर मचाना आज हमारी राजनीति का चलन बन गया है। इसको केन्द्र करके विभिन्न तबकों के मेहनतकश लोगों के बीच हिंसक टकराव हो जाते हैं। इनके चलते अनेक मूल्यवान जान चली जाती हैं। आरक्षण को लेकर झगड़ा अक्सर संसदीय कार्रवाई को बाधित करता रहता है। क्योंकि वोट पर आधारित राजनीतिक पार्टियाँ संसद में यह प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरी से होड़ लगाती रहती हैं कि वे इस या उस समुदाय के कल्याण के बारे में कितना सरोकार महसूस करती हैं। अब तक आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक ही महदूद था। हाल ही में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। दरअसल, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे किसी भी समय निहित स्वार्थों का कोई गुट एक तबके के लोगों को दूसरे तबके के लोगों के खिलाफ खड़ा कर देने के लिए जातिवादी या साम्प्रदायिक नफरत भड़का दे सकता है और अक्सर ये टकराव नरसंहार का रूप भी धारण कर लेते हैं। चुनाव आते हैं और गरीबों, वंचितों और उत्पीड़ितों के हितों के ये स्वयंभू चैम्पियन चुनावी फायदा बटोरने पर नजरें गड़ाए हद दर्जे तक आरक्षण के सवाल को उछाल देते हैं ताकि जातिवादी और साम्प्रदायिक लाइनों पर लोगों को बांट दिया जाए और वोट बैंक की घृणित राजनीति में वारे-न्यारे किए जाएं। यह पता लगाने के लिए किसी भारी ज्ञान की जरूरत नहीं है कि समाज के उत्पीड़ित तबकों के लिए इन सपनों के स्वयंभू सौदागरों का यह बहु प्रचारित सरोकार कितना खोखला है। जहाँ पूँजीवाद के तहत समान रूप से शोषित-उत्पीड़ित और वंचित अपने ही भाइयों के खून से हाथ रंगने के लिए आरक्षण और 'कोटा सिस्टम' के मुद्दे पर लोगों को भड़काया जाता है, वहीं सत्तालोलुप राजनेता अपनी जाति या धार्मिक पृष्ठभूमि के निरपेक्ष सत्ता का सुख भोग रहे हैं, भारी मात्रा में धन-संपदा संचित कर रहे हैं और अपना वैभव बढ़ा रहे हैं। इसके मुँह बोलते उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। लोगों का ध्यान उनकी दु:ख-तकलीफों के असली कारण से दूसरी ओर फेर देने के लिए और जातिवादी-साम्प्रदायिक लाइन पर शोषित-उत्पीड़ित जनता के बनावटी तौर पर किये गये ध्रुवीकरण पर वोट बटोरने के जरिये वारे-न्यारे करने के घृणित उद्देश्य को पूरा करने की खतिर आरक्षण का मुद्दा खड़ा कर देना सत्तालोलुप राजनेताओं और उनकी सरकारों का मनपसंद एजेण्डा बन गया है।

क्यों लागू किया गया था आरक्षण

लेकिन आरक्षण का उद्देश्य क्या यही था जिसे आजादी के बाद संविधान में शामिल किया गया था? जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि पूँजीवाद की मरणासन्न ह्रासोन्मुख अवस्था में राष्ट्रीय आजादी आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाला भारतीय पूँजीपति वर्ग, पूँजीवाद के उदयकाल के दौरान के पाश्चात्य देशों के पूँजीपति वर्ग जैसा नहीं था। इसलिए यह एक गैर-समझौतावादी धारा के संघर्ष के जरिये बर्बर जाति प्रथा, जाति-दंभ के अनर्थकारी प्रचार और जाति विद्वेष सहित सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों से सामंती तत्वों को उखाड़ फेंकने व अन्य सामाजिक विच्युतियों को निर्मूल करने में सक्षम नहीं हो सका। इसलिए ब्रिटिश शासकों से राजनैतिक आजादी हासिल करने के समय नितांत प्रतिकूलताग्रस्त दलितों या पिछड़े तबके के लोगों के मन में संचित जायज विक्षोभ था। संविधान निर्माताओं पर कुछ उपचारात्मक कदम समाहित करने का जन दबाव था। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार और शिक्षा में आरक्षण के विशेष प्रावधानों को संविधान में जगह मिली। यह आरक्षण सरकारी स्कूल-कॉलेजों, कार्यालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में लागू किया गया था। इसका प्रतिशत कुल आबादी में इन तबकों के लोगों के अनुपात पर आधारित था।

लेकिन संविधान निर्माता इस बारे में सजग थे कि आरक्षण का यह प्रावधान चिरस्थाई नहीं हो सकता है क्योंकि इसका मतलब होगा दलित आबादी के निरंतर पिछड़ेपन को परोक्ष मान्यता देना और उनको दूसरों के साथ समान अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया को बाधित कर देना। योग्यता के उपयुक्त विकास और परवान चढ़ने के लिए सभी के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छा छात्र अपनी निपुणता को और भी निखारता है जब वह अनेक दूसरे मेधावी छात्रों के साथ प्रतियोगिता करता है। इसलिए उन्होंने अनुबंधित

(शेष पृष्ठ 2 पर)

चीनी मूल्य डिकंट्रोल करने के फैसले की एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) द्वारा निन्दा

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट)के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 5 अप्रैल, 2013 को निम्नलिखित बयान जारी किया : कांग्रेस-नीत यूपीए-2 सरकार के चीनी मूल्य को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने और रेगुलेटिड रीलीज मकेनिज्म को समाप्त करने के फैसले की हम घोर निन्दा करते हैं जिससे चीनी के खुले बाजार में छोड़े जाने वाले कोटे को निर्धारित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकानों के जरिये बिक्री के लिए सरकारी खरीद की खातिर लेवी लगाने का अधिकार सरकार को प्राप्त था।

इस तथ्य का मुँह बोलता साक्ष्य यह है कि सरकार शासक भारतीय एकाधिकारी पूँजीपतियों के कुत्सित वर्गस्वार्थ की अपनी घृणित ताबेदारी में न केवल चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने के जरिये शक्तिशाली शुगर लॉबी की खुशामद कर रही है बल्कि इसने आम लोगों पर बढ़ते हुए चौतरफा हमलों की प्रक्रिया तेज कर दी है, जो अब कीमतों में बनावटी उतार-चढ़ाव की तिकड़मबाजी, रेल या रोड़ से ढुलाई खर्च में बढ़ोतरी, मालों के अन्तर-राज्यीय आवाजाही सहित विभिन्न टैक्स थोपे जाने आदि कई वजहों से कीमतें बढ़ती पायेंगे। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा स्वेच्छाचारिता पूर्वक की गई टिप्पणी, ''उपभोक्ता समय गुजरने के साथ-साथ इसके अभ्यस्त हो जायेंगे'' बेहद विकल कर देने वाली है, इसके जरिये बहुप्रचारित आर्थिक सुधारों के असल चरित्र का पर्दाफाश हुआ है जिन्हें लागू करने के लिए ये इतने उतावले थे।

हमारा दृढ़ मत है कि देश में जोरदार संगठित जनवादी आन्दोलन के अभाव की वजह से, मुख्यत: छद्म मार्क्सवादियों द्वारा जनवादी आन्दोलन करना छोड़ दिया जाने की वजह से सरकार को ऐसी नीतियों को ऐसे स्वेच्छाचारी ढंग से लागू करने का लाइसेन्स मिल रहा है। हम भुगतभोगी देशवासियों का आह्वान करते हैं कि वे तथाकथित आर्थिक सुधारों की खतरनाक पूर्वसूचना को समझें, अपनी पांतों को सुदृढ़ करें और सही नेतृत्व के तहत संयुक्त, सतत सचेत आन्दोलन के जरिये अपनी ताकत का इजहार करें जो दमनकारी बुर्जुआ सरकार के ऐसे अनिष्टकारी कदमों को रोकने का एकमात्र रास्ता है।

आरक्षण नीति : ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

किया था कि यह आरक्षण 10 साल के लिए होगा। इसके बाद एक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए कि एक सीमित अवधि के लिए यह आरक्षण कितनी दूर तक अपने लक्ष्य को हासिल कर सका है।

आरक्षण ने पिछड़ों-उपेक्षितों का नहीं किया कोई भला

लेकिन इस आरक्षण नीति का नतीजा क्या निकला? क्या संजोये गए लाभ दलितों की व्यापक आबादी को मिल पाये? सभी कहेंगे कि 'नहीं'। इसके विपरीत आजादी के बाद 65 साल के दौरान उत्पीड़ित जनता के दूसरे तबकों के साथ-साथ उनकी हालत भी लगातार बद से बदतर होती चली गई। पिछड़े और उपेक्षित तबकों के ज्यादातर लोग जिनमें मुख्यत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं, घोर गरीबी और मुसीबत झेल रहे हैं। 60 प्रतिशत दलित अभी भी अनपढ़ है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में यह आंकड़ा 70 प्रतिशत है। भयंकर गरीबी और परिवार का गुजारा चलाने के लिए थोड़ा बहुत कमा लेने की जरूरत की वजह से दलित बच्चों के लिए स्कूल छोड़ देने का आंकड़ा 80 प्रतिशत तक है। तकनीकी शिक्षा में एस सी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से उपयुक्त प्रार्थी न मिलने की वजह से 80 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती हैं। मौजूदा आरक्षण के नियमों के तहत उनके लिए रोजगार के जो रिक्त स्थान निधारित हैं उनको भरने के लिए दलितों के बीच से उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है।

पूँजीवादी भारत में यह अवश्यंभावी था। संकटग्रस्त विश्व साम्राज्यवाद-पूँजीवाद का अभिन्न अंग होने के नाते, शासक भारतीय पूँजीपति वर्ग इन तमाम विसंगतियों से व्याधिग्रस्त हुए बिना नहीं रह सकता था। अल्प समय में ही इस घनघोर संकट और अस्थिरता ने आजाद भारत के आर्थिक-राजनैतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों को अपनी जकड़बंदी में ले लिया। जाति, पंथ या धर्म का कोई लिहाज किये बिना समाज मुट्ठी भर अमीरों और बहुसंख्यक गरीबों के बीच और भी गहराई से विभाजित हो गया। यह खाई हर दिन, हर घंटे चौड़ी होती जा रही है। लोगों के लिए वस्तुत: रोजगार का कोई अवसर उपलब्ध नहीं है। क्योंकि बेरहम पूँजीवादी शोषण के चलते लोगों की लगातार गिरती जा रही खरीद शक्ति द्वारा उत्पन्न पूँजीवाद के गहन बाजार संकट की वजह से मौजूदा लगे हुए उद्योगों के शटर बंद होते जा रहे हैं। नये रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। छंटनी, लेऑफ, जबरन सेवानिवृति की भरमार है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या आकाश छू रही है। इसी तरह, पूँजीवादी भारत में शिक्षा के अवसरों में लगातार कटौती की जा रही है। शिक्षितों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी और वे रोजगार के घटते अवसरों के कारण के बारे में सवाल उठायेंगे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग और इसकी ताबेदार सरकारें शिक्षा के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए आमादा हैं। शुरूआत में, सीट कटौती स्कीमों से यह सिलसिला शुरू हुआ। अब वे बेतहासा ट्युशन फीस वसूलने, केपीटेशन फीस थोपने, सरकारी स्कूल-कॉलेजों को बंद करने और शिक्षा क्षेत्र को व्यावसायिक आधार पर चलाने के लिए निजी घरानों को सौंपने जैसे तमाम दूसरे-दूसरे उपायों का सहारा ले रहे हैं। संक्षेप में, जाति, पंथ या धर्म का भेदभाव किये बिना बेसिक शिक्षा भी गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों से छिनती जा रही है, उच्च शिक्षा की तो बात ही छोड़िये जो अमीरों का एकाकी क्षेत्र बन गई है। आपराधिक उपेक्षा, धोखेबाजी और वंचना की इस लम्बी गाथा में आबादी के पिछड़े तबके को 'लेवल प्लेइंग' फील्ड तक खुद को ऊपर उठाने में मदद करने की बजाय और भी गिरावट के गर्त में धकेल दिया गया है। दलितों और अन्य उपेक्षित तबकों के सामने कहीं इस सच्चाई का खुलासा न हो जाए और मूल कारण के रूप में कहीं दमनकारी पूँजीवादी शासन की पहचान न हो जाए, शासक वर्ग ने आरक्षण के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए धूर्ततापूर्वक उनके अन्दर से एक छोटे से ग्रुप को अनुचित सुविधाओं, धन और सत्ता के लालच द्वारा लुभाने का प्रयास किया। इस तरह, दलितों का एक छोटा सा हिस्सा जो मुश्किल से 3 प्रतिशत है, तमाम अवसरों और लाभों को हड़पकर 'मलाईदार तबके' (क्रीमी लेयर) के रूप में समृद्ध 'अभिजातों' का एक छोटा सा ग्रुप उभर कर आया जो समाज में प्रभुत्व रखने वाले मुट्ठी भर अमीरों के एक हिस्से के रूप में तमाम सुविधाओं और राजनैतिक दबदबे का सुख भोग रहा है और पिछड़ी जाति व जनजाति समुदाय के जीवन यापन की तीव्र अधोगति के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन और उदासीन बना हुआ है। इस तरह, यह 'मलाईदार तबका' वस्तुत: शासक पूँजीपति वर्ग का पुछल्ला बन गया है और दमनकारी पूँजीवाद के किसी अन्य तलवेचाटू की तरह ही तमाम तरह की गैर कानूनी व भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। चालाकी भरा कदम उठाते हुए शासक वर्ग ने जनता के अति उत्पीड़ित तबके से इस सुविधाभोगी ग्रुप को तैयार कर लिया जो इसके वर्ग स्वार्थ का ताबेदार हो और जिसे दलित आबादी की समृद्धि(!) के सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। दलित वोटरों के बीच खुद को चहेता बना देने के लिए राजनीतिज्ञों का एक गुट जो रिवाजी तौर पर अपने दलित होने की शान दिखाता है जब उसे धन के अम्बार पर बैठे पाया जाता है, अपनी श्री वृद्धि के लिए जो हर तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होता है और सत्ता पाने की खातिर हर तरह के गलत हथकण्डे इस्तेमाल करता है तो भवें तनती हैं और प्रतिक्रिया में यह सवाल उठाया जाता है कि आरक्षण नीति और कुछ सुविधाएं व हितलाभ प्रदान करने का प्रावधान, गैर-दलितों, गैर-पिछड़े समुदायों को उनके जायज हकों से वंचित कर रहा है। यह पुन: दलितों और गैर-दलितों के बीच खाई को और चौड़ी कर देता है। दलितों के बीच 'मलाईदार तबके' का आविर्भाव इस तथ्य को पुख्ता करता है कि पूँजीवाद में वर्ग-विभाजन हर पल तेज होता जा रहा है; अमीरों और गरीबों के बीच की चौड़ी खाई सामाजिक स्तर-विन्यास को और भी सुस्पष्ट और तीव्र बना रही है।

आरक्षण है निहित स्वार्थों के हाथों में एक कूटयुक्ति

इस तरह यह साफ जाहिर है कि जब किसी प्रकार के फायदेमंद रोजगार के लिए जरा सा भी मौका नहीं है और न ही औपचारिक शिक्षा मेहनतकश जनता के बूते और पहुँच में है तब शासक वर्ग और इसके राजनैतिक मैनेजर आरक्षण पर इतना हो हल्ला मचा रहे हैं और कोटा सिस्टम के जरिये रोजगार व शिक्षा के सपने बेच रहे हैं और इस प्रक्रिया में गोपनीय तरीके से विभिन्न तबकों के बीच आपसी द्वेष और अविश्वास को हवा दे रहे हैं, करोड़ों मेहनतकशों के बीच एकता और भाईचारे में तनाव पैदा कर रहे हैं। जब रोजगार हैं ही नहीं, शिक्षा प्राप्त करने के अवसर हैं ही नहीं तब दलितों के लिए आरक्षण होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या आरक्षित सीटें आम तौर पर उन दलितों की पहुँच में होंगी जो जीवन के अमानवीय हालात में जीने के लिए मजबूर हैं या क्या ये सीटें हमेशा के लिए खाली पड़ी रहेंगी या 'मलाईदार तबके' के बच्चों से भर दी जाएंगी? इसी तरह गैर-दलित छात्रों के कितने अभिभावक फिलहाल इतने समृद्ध हैं कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सकें? इसलिए आरक्षण हो या न हो यह दमनकारी पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा पैदा की गई आर्थिक बदहाली, कंगाली और तेजी से गिरती आमदनी है जो आम आदमी यानी समान रूप से दलितों और गैर-दलितों तक शिक्षा के प्रसार को बाधित कर रही है। निस्संदेह, कोई भी चिन्तनशील व्यक्ति इस साधारण सी बात को आसानी से समझ सकता है कि आरक्षण गहरी जड़ जमाये हुई बेरोजगारी की समस्या या विकराल रूप धारण कर चुकी शिक्षा तक पहुँच न होने की समस्या का न तो कारण है और न ही समाधान। ह्रासोन्मुख मरणासन्न पूँजीवादी व्यवस्था ही है जो तमाम बुराइयों की जड़ है, जो मानवजाति के स्वाभाविक विकास और उन्नति की प्रक्रिया को पूरी तरह अवरुद्ध किये हुए है। इसलिए जीवन की इन तमाम दमघोंटू समस्याओं के उन्मूलन का सवाल पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के सवाल से ओत प्रोत रूप में जुड़ा हुआ है।

लेकिन यदि उत्पीड़ित लोगों, दलितों और गैर-दलितों दोनों में यह अपेक्षित जागरूकता पैदा हो जाए, यदि वे इस वास्तविकता को समझ सकें और शासक पूँजीपति वर्ग और इसके चाटुकारों के षड्यंत्र द्वारा भड़क जाने की बजाय तमाम फूटपरस्त मानसिकताओं से ऊपर उठ सकें और अपने जीवन की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करने, तमाम सामाजिक अन्यायों का प्रतिकार करने, रोजगार व शिक्षा के निर्बाध अवसर प्रदान कर देने, अति उपेक्षित व उत्पीड़ित दलित लोगों हेतु लेवल प्लेइंग फील्ड तक उत्थान के लिए और उनके द्वारा सदियों से झेली जा रही घोर तकलीफों व सामाजिक जातिगत उत्पीड़न खत्म करने के लिए उच्च संस्कृति व नीति-नैतिकता पर आधारित संगठित जनवादी आन्दोलन के मंच पर एकजुट हो जाएं तो यह अन्तत: पूँजीवादी शासन के खात्मे का मार्ग प्रशस्त करेगा। पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति की इस भयग्रंथी से आक्रांत शासक भारतीय एकाधिकारी पूँजीपति जातिवाद, साम्प्रदायिकता, प्रांतीयता, संकीर्णता, अंधराष्ट्रवाद और इस तरह की तमाम दूसरी फूटपरस्त मानसिकताओं को उकसा कर मेहनतकश लोगों की एकता को तोड़ने में जी-जान से लगा हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने 'फूट डालो राज करो' की नीति अपना कर हिन्दू-मुस्लिम धड़ेबंदी को लगातार उकसाया और आदिवासी-गैरआदिवासी वैमनस्य को भड़काया था। इसी मकसद से आजादी के बाद पूँजीपति शासकों ने ऐसे तमाम जातिवादी-साम्प्रदायिक, अलगाववादी-अंधराष्ट्रवादी विचारों को बड़ी सावधानीपूर्वक पाला-पोसा और मौका मिलते ही उन्हें भड़काया ताकि विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा किया जा सके और भ्रातृघाती और दोनों पक्षों के लिए घातक दंगे-फसादों में उलझाया जा सके। चतुराई से रची गई इस साजिश को सरअंजाम देने में बुर्जुआ पार्टियाँ और राजनेता शासक भारतीय एकाधिकारी पूँजीपतियों के टहलुए हैं। इसलिए, वे लोगों को बांट कर रखने के लिए इस पथ भ्रष्ट सोच और विकृत मानसिकता को उकसाने में जुटे हुए हैं ताकि मेहनतकश जनता के विभिन्न तबकों के बीच गतिरोध का फायदा उठाते हुए चुनावी राजनीति में वारे-न्यारे करने की खातिर वे अपने-अपने वोट बैंक बना सकें और इन्हें पाल-पोस सकें। साथ-साथ वे आज्ञाकारिता सहित अपने आकाओं के वर्ग स्वार्थ को साध सकें। यहाँ तक कि सीपीआई(एम), सीपीआई जैसे छद्म मार्क्सवादी भी धन और सत्ता के लिए इस धूर्त बुर्जुआ साजिश का हिस्सा बन गये। वे यहाँ-वहाँ कुछ टुकड़े बटोरने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस या उस बुर्जुआ गठजोड़ के साथ बेशर्मी से हाथ मिला रहे हैं। इस तरह वे तत्परता के साथ जातिवादी-साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को हावी होने का मौका दे रहे हैं। रोजगारों व शिक्षा में आरक्षण जिसे एक समय पिछड़े तबकों के उत्थान की एक प्रक्रिया के रूप में संजोया गया था अब वस्तुत: प्रतिक्रियावादी ताकतों के हाथों में यह फूटपरस्ती फैलाने, बढ़ाने और पुख्ता करने का हथियार बन गया है।

पूरी तरह मर नहीं गया है जमीर

जब स्थिति ऐसी है जिसमें इस फूट के बढ़ते जाने के साथ-साथ भारतीय लोगों के बीच-जो एक समय एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए तमाम जाति, पंथ या धर्म से ऊपर उठ कर ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़े थे –तमाम तरह के फूटपरस्त विचारों का तेजी से हो रहा प्रसार गहरी चिन्ता पैदा कर रहा है, यह देखा गया है कि देश के कुछ हिस्सों में कुछ चिन्तनशील लोग अपने तजुर्बे के आधार पर उस गहरी साजिश की प्रकृति समझने में सक्षम हुए हैं जिसे जातिवादी-साम्प्रदायिक-नस्लीय लाइनों पर लोगों को लगातार बांट कर रखने के लिए प्रतिक्रियावादी ताकतों के द्वारा रचा गया है। वे लोग अब मुखर भी हो रहे हैं। एक सम्मानप्राप्त पत्रकार और शिलोंग टाइम्स की सम्पादक पैट्रिशिया मुखीम ऐसी सामाजिक समस्याओं में गहन अंतर्दृष्टि रखने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। यह नोट करना हर्षप्रद है कि जब अधिकतर स्तंभकार और पत्रकार या तो व्यवस्था के या इसके अपराध-सहकारियों के खिलाफ जाने का साहस न जुटा पाने की वजह से या धन और अन्य सुविधाओं के प्रलोभन में पत्रकारिता की नैतिकता का अनुपालन करते हुए सच्चाई को सामने लाने में अनिच्छुक हैं तब जन्म से आदिवासी और मेघालय जहाँ आरक्षण 80 प्रतिशत और कुछ में वस्तुत: 100 प्रतिशत है, वहाँ की निवासी मुखीम ने अपने कॉलमों में इस सड़न को उजागर करने का असाधारण साहस दिखाया है। मुट्ठी भर अमीरों और करोड़ों गरीबों के बीच चौड़ी होती खाई की भर्त्सना करते हुए उन्होंने

(शेष पृष्ठ 3 पर)

शैक्षणिक सवालों और देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ छात्र रैली

रांची : विभिन्न शैक्षणिक सवालों और पूरे देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ ऑल इण्डिया डैमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) की जिला कमेटी के तत्वावधान में 4 अप्रैल को यहां छात्रों की एक रैली का आयोजन किया गया। रैली स्थानीय फिरायलाल चौक से शुरू हुई और सर्जना चौक होते हुए मुख्य पोस्ट ऑफिस तक गई। तत्पश्चात लिखित माँगों के

साथ विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं के हस्ताक्षर युक्त पोस्ट कार्ड भारत के प्रधानमंत्री के नाम मुख्य पोस्ट ऑफिस में डाले गये।

यह कार्यक्रम एआईडीएसओ की रांची जिला सचिव कॉमरेड बन्हिशिखा समाजपति के नेतृत्व में हुआ। इसमें उनके अलावा विवेक, अंजलि, रिंकी, अभिषेक, लीली, बरखा, बेबी, सुनीता, संतोष एवं राजा सहित सैकड़ों छात्र-छात्राएं शामिल थी।

आरक्षण नीति : ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

टिप्पणी की : '' यहाँ एक देश है जहाँ आकार और दौलत में बढ़ते जा रहे मॉल्स हैं, जहाँ चन्द अमीर लोग एक शादी पर सैकड़ों करोड़ रुपये की फिजुलखर्ची करते हैं और लोग विदेश में शाही खर्च कर छुट्टियाँ बिताते हैं। लेकिन यह भी एक देश है जहाँ गरीबों की बहुत बड़ी संख्या अपनी दुनिया को अंधकार से घिरती देख रही है। रोजगार के अवसर सिकुड़ रहे हैं; सरकार रोजगारों के अवसर पैदा करने में नाकाम रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था को यह जरूरत पूरी करने के लिए नहीं ढाला गया है बल्कि सार्वजनिक सामानों व संसाधनों को निजी सम्पदा पैदा करने की तरफ मोड़ दिया गया है।'' (द स्टेट्समैन-17-02-2013)। आरक्षण नीति के दुरुपयोग की तरफ इशारा करते हुए वे साहसपूर्वक लिखती हैं : ''भारत ने अनुसूचित जातियों (दलितों), अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति अपनायी थी जिसका उद्देश्य शिक्षा व रोजगार के अवसरों तक उनकी ज्यादा पहुँच प्रदान करने के जरिये उनके जीवन की पिछड़ी हुई दशा से उन्हें ऊपर उठाना था। संविधान को लागू हुए अब 62 साल हो चुके हैं और आरक्षण नीति बदस्तूर जारी है। हर 10 साल बाद इस नीति का पुनरावलोकन किया जाना था। लेकिन क्योंकि यह नीति वोट बैंक राजनीति में मजबूती से कायम है। इसलिए मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर देना आसान नहीं है।'' (वही) 'मलाईदार तबके' के उभरने के कटु संदर्भ में वे कहती हैं कि ''मुझे ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है कि कैसे पोजीटिव डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) ने काम किया है; क्या इसने सिर्फ चन्द लोगों के लिए काम किया है और क्या इसने तथाकथित कमजोर व पिछड़े वर्गों के बीच एक अन्य वर्ग पैदा कर दिया है...जो लाभान्वित हो चुके हैं उनको अलग कर दिया जाना चाहिए, आम नागरिकों की तरह समझा जाना चाहिए। उसी कैटेगरी से अन्य जिन्हें कोई सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें यह मिलना चाहिए। इसमें मलाईदार तबके द्वारा आयकर अदा करना और शिक्षा व रोजगार में आरक्षण त्याग देना शामिल है। इस बारे में बहुत कहा गया है कि राज्य से प्राप्त सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) के लाभार्थी कौन होंगे यह तय करने का पैमाना केवल आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए लेकिन किसी ने भी इस प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया, फिर से वोट बैंक की राजनीति ही आड़े आई। अत: किसी भी प्रकार के सकारात्मक राजनैतिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी बाधा वोट बैंक की राजनीति है। तमाम राजनैतिक पार्टियाँ जानती हैं कि व्यवस्था में क्या गड़बड़ी है और किस तरह यह चन्द लोगों के हक में पक्षपातपूर्ण है लेकिन यथास्थिति में परिवर्तन के लिए कोई एक इन्च भी नहीं हिलेगा।'' (वही) विशेषकर उत्तर-पूर्व में 'मलाईदार तबके' द्वारा भोगी जा रही अनुचित सुविधाओं से वे बहुत खफा हैं। उनके शब्दों में : ''कबीलों या कम से कम जो उत्तर-पूर्व में रह रहे हैं उन्हें छठे अनुच्छेद में दर्ज संवैधानिक सुरक्षा उपाय के चलते अनेक सुविधाएं हासिल हैं, तमाम केन्द्रीय सरकारी संस्थानों और शिक्षण संस्थानों (विशेषकर मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों) में अनुसूचित जनजातियों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण हासिल है। इन्हीं लाभों का 15 प्रतिशत एससी और ओबीसी को मिल रहा है। इन कैटेगरियों में मलाईदार तबका भी इन अनुलाभों को हासिल करता जा रहा है जो न्यायसंगत रूप से उन्हें मिलने चाहिएं जिन्हें इन हितलाभों तक पहुँच की सुविधा हासिल नहीं है।...यह अन्याय इन कैटेगरियों द्वारा अपने ही लोगों पर किया जा रहा है। एक सबसे बड़ा हितलाभ जो अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त है वह आयकर में छूट है। एक आईएएस अफसर या एक मेडिकल डॉक्टर या इंजीनियर उतना ही कमा रहा है जितना गैर-अनुसूचित जाति, गैर-अनुसूचित जनजाति का उसका समकक्ष, तब क्या उसे यह राष्ट्रीय टैक्स देने से, यहाँ तक कि अपनी आमदनी वार्षिक तौर पर घोषित करने से भी छूट हासिल होनी चाहिए? यह भी एक अन्याय है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में राजनीतिज्ञों और व्यापारी वर्ग के सदस्यों और सरकारी नौकरी प्राप्त इंजीनियरों, डॉक्टरों और अफसरशाहों ने भी आय के अपने किसी ज्ञात स्रोत से कहीं ज्यादा धन जमा कर रखा है। लेकिन वे भ्रष्टाचार के इस जुर्म से साफ बच निकलते हैं।...कोई सवाल नहीं उठता है कि कैसे एक सरकारी नौकरी प्राप्त इंजीनियर इतनी मोटी कमाई करता है कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज सकता है–एक अवसर जो सिर्फ चन्द सुविधाभोगी भारतीयों को ही प्राप्त है। सर्वविदित है कि ये लोग समृद्धिशाली पैदा नहीं हुए थे बल्कि अपनी सम्पदा इन्होंने अपनी नौकरी के कार्यकाल में ही हासिल की है। इनके द्वारा कमाया हुआ धन सीधा समानानुपाती है इनके द्वारा बनायी गई खस्ताहाल सार्वजनिक भवनों व सड़कों के जिन्हें साल दर साल मरम्मत की जरूरत पड़ती है। यह सब पैसा कमाने का धंधा है। फिर वे बच भी निकलते हैं क्योंकि वे आदिवासी जो ठहरे!...अफसोस! ये संसाधन सभी आदिवासियों/एससी, ओबीसी को समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। अपने राजनैतिक रसूख, नीति निर्धारण और नीतिगत निर्णयों में व्यापक प्रभाव की वजह से कुछ आदिवासी दूसरों के अधिक समन हैं। इसलिए चहेती कम्पनियों को गैरकानूनी खनन अधिकार देकर झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा 6000 करोड़ रुपये हड़पने में सक्षम हुए थे।... भ्रष्टाचार की बुराई हर इनसान के नैतिक डीएनए में उसी तरह प्रोग्राम्ड है जिस तरह अन्य गुण हैं। एस सी, एस टी, ओ बी सी सभी इनसान हैं।'' (द स्टेट्समैन 03-02-2013) शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में गरीब और अमीर के बीच भेदभाव की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए वे कहती हैं : ''शिक्षा से वंचित लोग गरीब हैं और गरीबतर क्षेत्रों में गरीब लोगों का संकेन्द्रण हर तरह के तनाव, वंचना और मुश्किल को बढ़ा देता है। स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुँच बहुत कम है और बच्चे पैदा करना महिलाओं के अख्तियार में नहीं है। इसलिए परिवारों का आकार बड़ा है। दूसरी तरफ, मध्यम व उच्च वर्गीय लोग शिक्षा के फायदों का सुख भोगते हैं और इसे अपने बच्चों को हस्तांतरित कर देते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि शिक्षा उनके लाभों को बढ़ा सकती है। इसका नतीजा होता है अच्छी शादियाँ और मोटी आमदनी वाले रोजगार वगैरह। यह एक सटीक उदाहरण है कि केसे अभिजात कायम हो जाते हैं और अपने स्टेटस को बरकरार रखते हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों के आदिवासियों के बीच यह परिघटना देखने में आई है। यह 1970 के दशक के अन्तिम दौर में शुरू हुई थी और आज तक जारी है। एक अंधी आरक्षण नीति को जारी रखना पहले ही उत्तर-पूर्वी भारत की आदिवासी सोसाइटियों का काफी नुकसान कर चुका है। इस परिदृश्य को बदलने का यही समय है।'' (द स्टेट्समैन 17-02-2013)

विचारों की स्पष्टता

एक कदम और आगे बढ़ते हुए जरा सी भी हिचकिचाहट के बिना वे कहती हैं कि ''गरीबी सिर्फ एक ग्रामीण संलक्षण नहीं है। शहरी गरीबों का एक बहुत बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी में रहता है और लाखों लोग बेघर हैं। इनके लिए अवसर कहाँ हैं? और वे निश्चित ही एक सामाजिक स्पैक्ट्रम से नहीं आते हैं। उनमें सभी वर्ग और जातियाँ शामिल हैं। ऐसे हालात में सरकार आर्थिक साम्यावस्था कैसे लाएगी? झोंपड़ियों के एक झुरमुट में जिसमें सभी गरीब लोग शामिल हैं उनमें सरकार कैसे एस सी/ एस टी/ ओ बी सी को खोज निकाल सकती है ताकि उनको शिक्षा और रोजगार की विशेष पहुँच हासिल हो सके? यह और ज्यादा असमान सोसाइटियाँ पैदा करेगा।'' (द स्टेट्समैन 17-02-2013) आगे और व्याख्या करते हुए वे लिखती हैं : ''उदाहरण के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफैसर को लें जो दूसरे प्रोफैसर से शादी भी करता है/करती है और जिसके माता-पिता असल में एक स्कूल टीचर थे। इस दम्पति की आमदनी उससे कहीं ज्यादा है जो कभी उनके माता-पिता ने कमाई थी। दरअसल आज बहुत से आदिवासी हैं जो ऐसे स्टेट्स के अधिकारी हैं और जिनके बच्चे मेघालय या उत्तर-पूर्वी राज्यों में नहीं पढ़ते हैं बल्कि विदेशों में या देश के सबसे बढ़िया संस्थानों में पढ़ते हैं। क्योंकि वे इसका खर्च वहन कर सकते हैं। क्या उन बच्चों को उसी सामाजिक कैटेगरियों में अधिक वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले अन्य बच्चों की कीमत पर आरक्षण का लाभ लेना जारी रखना चाहिए? क्या यह गैर बराबरी नहीं है? यह देखते हुए कि बहुत से आदिवासी भी अमीर, मध्यम वर्ग और गरीब वर्गों में विकसित हो गये हैं क्या यह आज एक चर्चा का बिन्दु नहीं होना चाहिए? और क्या सरकार गैरबराबरी को पुख्ता नहीं कर रही है? क्या वह सकारात्मक कार्रवाई मॉडल के पुनर्विन्यास में अपनी अक्षमता के चलते इन वर्गों को पैदा नहीं कर रही है?

बुद्धिजीवियों से हमारी अपील

श्रीमती मुखीम ने हकीकत पेश करने और किसी पूर्वाग्रह या संकीर्ण साम्प्रदायिक सोच से मुक्त रह कर सच्चाई को बुलन्द करने में जिस विरले साहस और बेबाक ढंग से विचारों की स्पष्टता का परिचय दिया है उसकी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। यह सभी के लिए आँखें खोलने वाला और हर पत्रकार व स्तम्भकार के लिए एक सबक होना चाहिए। पूँजीवाद में जब हर एक पेशा बाजार का बिकाऊ माल बन गया है, हर एक प्रतिभा प्रतिक्रियावादियों द्वारा खरीदी जाने की जद में है, सत्ता के बेशर्मी से बचाव के जरिये फौरी पैसा कमाना आम बात हो गई है, तुच्छ लाभों के लिए अपने जमीर का सौदा करने को व्यावहारिकता की संज्ञा दी जाती है और हकीकत को तोड़-मरोड़ कर पेश करने को पत्रकारिता कौशल के रूप में देखा जाता है, 'हिज मास्टर्स वायस' का पालन करने को सफलता की कुंजी समझा जाता है, ऐसे में कोई अपवाद या बहाव के खिलाफ तैरने का साहस करने वाला सत्याकांक्षी मेहनतकश जनता और जनवादी व सही सोच रखने वाले व्यक्तियों की ओर से प्रशंसा व सम्मान का हकदार है। हमें उम्मीद है कि श्रीमती मुखीम सामाजिक उद्देश्य को पूरा करती रहेंगी और इस तरह इस ढंग की पत्रकारिता के क्षेत्र में अन्य सभी के लिए और साथ-साथ बुद्धिजीवियों के लिए एक मिसाल बनेंगी। ●

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Printing :20 April, 2013

मेधा पाटकर द्वारा छेड़े गए जायज आन्दोलन के साथ एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की पूरी एकजुटता का इजहार

उजाड़े गये मुम्बई स्लमवासियों की जायज माँगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी मेधा पाटकर के स्वास्थ्य की बिगड़ती हालत पर गहरी चिन्ता जाहिर करते हुए एसयूसीआई(कम्युनिस्ट)के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 13 अप्रैल, 2013 को निम्नलिखित बयान जारी किया:

जानी-मानी समाज सेविका और मानवाधिकार कार्यकर्ता मेधा पाटकर के बिगड़ते स्वास्थ्य पर हम गहरे चिन्तित हैं, जो मुम्बई में स्लम पुनर्वास अथोरिटी (एसआरए) की आड़ में विशाल स्लम लैण्ड को प्रोपर्टी बाजार में फ्री सेल के लिए गैरकानूनी तरीके से निजी बिल्डरों को सौंपने जा रही महाराष्ट्र की कांग्रेस-नीत सरकार और शक्तिशाली भूसम्पत्ति-माफिया के बीच नापाक गठजोड़ के खिलाफ माधुरी शिवकर के साथ पिछले सात दिन से गोलाबार, मुम्बई में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हैं। स्लम वासियों को न केवल उचित पुनर्वास के अधिकार से बल्कि बहुत से फालतू बहाने दिखा कर आवास के मूलभूत अधिकार भी वंचित किया जा रहा है और स्लम लैण्ड को हड़पने के लिए भारी पैमान पर जबरन वसूली, धोखेबाजी और जालसाजी का सहारा भी धड़ल्ले से लिया जा रहा है। यह बड़े दु:ख की बात है कि बार-बार के प्रतिवादों, अधिकारियों को डेप्युटेशनों और सम्बन्धित अधिकारियों से प्रतिकार के आश्वासनो के बावजूद बेदखल स्लम वासियों को वैकल्पिक आवास मुहैया कराये बिना ही पुलिस से मिल कर ताकतवर बिल्डर लॉबी द्वारा स्लम वासियों के आवास स्थानों को बुल्डोजरों से धराशायी किया जा रहा है। बदनसीब स्लम वासियों के साथ अमानवीय बर्ताव करने में निहायत भ्रष्ट बिल्डर लॉबी-पुलिस-प्रशासन गठजोड़ के साथ महाराष्ट्र सरकार की मुजरिमाना मिलिभगत की हम कड़ी निन्दा करते हैं। भ्रष्ट सरकारी तंत्र और सत्ता के नशे में चूर राजनैतिक पार्टियों के साथ गठजोड़ में भूसम्पत्ति-माफिया की यह दादागिरी देश में स्वेच्छाचारी पूँजीवादी शासन की पहचान बन गई है। इस परिप्रेक्ष्य में मेधाजी और उनके सहयोद्धाओं के इस प्रतिवादी आन्दोलन का व्यापक राष्ट्रीय महत्व है।

मेधाजी और उनके अनुयायियों द्वारा छेड़े गए जायज आन्दोलन के साथ हम पूरी एकजुटता का इजहार करते हैं। आन्दोलन के 11 सूत्री माँगपत्र का भी हम भरपूर समर्थन करते हैं जिसमें अन्य बातों के अलावा, यह माँग भी की गई है कि जब तक 6 एसआरए प्रोजैक्टों में अनियमितताओं की जाँच रिपोर्ट पूरी नहीं हो जाती है तब तक प्रोजैक्ट के तमाम कामों पर तुरंत रोक लगाई जाए, विस्थापित लोगों को कुछ राहत सुनिश्चित करने के लिए एसआरए की बजाय मुम्बई के स्लमों में 'राजीव आवास योजना' लागू की जाए और स्लम वासियों के लिए पानी, शौचालयों, नालियों, सड़कों जैसी नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हम देशवासियों का आह्वान करते हैं कि वे मेधा जी और उनके अनुयायियों द्वारा छेड़े गए न्यायसंगत आन्दोलन के समर्थन में साहस के साथ आगे आयें और बिना कोई वक्त गवांये आन्दोलन की माँगों को मानने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मजबूर कर दें।

आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एसयूसीआई(सी) उम्मीदवारों की सूची

विधानसभा क्षेत्र	उम्मीदवार का नाम
1. मालेश्वरम	: एम एस प्रकाश
2. राजाजीनगर	: बी एस प्रतिभाकुमारी
3. बासवानगुडी	: एन रवि
4. बेलारी सिटी	: डी नागास्वामी
5. बेलारी ग्रामीण	: ए देवदास
6. धारवाड़	: एच जी देसाई
7. चमराजा	: एम उमा देवी
8. गुलबर्गा दक्षिण	: वी नागाम्मल
9. गुलबर्गा ग्रामीण(एससी)	: निन्गान्ना
10.बीजापुर	: एच टी मल्लिकार्जुन
11.रायचुर	: बी आर अर्पणा

जनविरोधी आम बजट के खिलाफ अपना बाजार सर्कल, लाल दरवाजा, अहमदाबाद में 6 मार्च को रोष प्रदर्शन करते एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) कार्यकर्ता

बलात्कार व हत्या के खिलाफ रोष प्रदर्शन

दुर्ग (छ.ग.) : दुर्ग शहर के विजय नगर बैंक कालोनी में 9 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के विरोध में और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी सजा देने की माँग को लेकर 4 अप्रैल को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की दुर्ग जिला सांगठनिक समिति द्वारा शहर कलैक्टरेट पर जम कर प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व एसयूसीआई (कम्युनिस्ट)के कॉमरेड विश्वजीत हारोडे ने किया।

केन्द्रीय कार्यालय भवननिर्माण कोष में चंदा दें

जनता की जायज माँगों को लेकर हमेशा प्रतिवाद और आन्दोलन में लगी हुई जुझारू पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के पुराने केन्द्रीय कार्यालय की जगह नया भवन बनाना जरूरी हो गया है।

वर्तमान में 48, लेनिन सरणी स्थित केन्द्रीय कार्यालय के साथ पार्टी के नेता-कार्यकर्ताओं की लम्बे अर्से से बहुत आवेगमय यादें और आन्दोलन का इतिहास जुड़ा हुआ है। इसलिए सभी राज्यों के नेता-कार्यकर्ता- समर्थक-हमदर्द चाहते हैं कि इसी जगह पार्टी का स्थायी कार्यालय रहे। इसलिए हाल ही में जब यह मकान खरीदने का मौका आया तो मूलत: पार्टी के नेता- कार्यकर्ता-समर्थकों द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से ही यह मकान खरीदा जा सका। इसके लिए उन्हें संग्रामी अभिनन्दन देते हैं।

लेकिन बहुत पुराने इस महान की हालत भग्नप्राय है। पार्टी के वर्तमान कामकाज के विस्तृत दायरे के विचार से जगह भी काफी कम है। ऐसी स्थिति में, पार्टी के सभी स्तर के नेता-कार्यकर्ता-समर्थक-हमदर्दों की तमन्ना है कि उस पुराने भग्नप्राय मकान की जगह नये कार्यालय का भवन निर्माण किया जाए। इसलिए नये कार्यालय के भवन निर्माण का निर्णय केन्द्रीय कमेटी ने लिया है। इससे पहले पार्टी के नेता-कार्यकर्ता-समर्थकों द्वारा दिया गया पैसा मकान खरीदने में खर्च हो गया है। नया भवन निर्माण करने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण के लिए केवल पार्टी के नेता-कार्यकर्ता- समर्थकों से ही नहीं, बल्कि व्यापक जनता से हम आर्थिक सहायता देने की अपील करते हैं। हमें विश्वास है कि एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी के सभी कार्यक्रम सफल बनाने में जनता पहले जिस तरह आर्थिक सहायता का हाथ बढ़ाती आई है, उसी तरह इस बार भी केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण के लिए भी मुक्त हस्त से आर्थिक सहायता देगी।

अभिनन्दन सहित

देव प्रसाद सरकार
कार्यालय सचिव,
केन्द्रीय कमेटी

चैक इस नाम से भेजें :
socialist unity centre of india (communist)

डी सी दफ्तर पर किसानों का प्रदर्शन

झज्जर : ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन की ओर से 10 अप्रैल को यहाँ डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में माँग की गई कि हरियाणा सरकार गेहूँ पर 250 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों को कॉमरेड जयकरण मांडोठी, कॉमरेड करतार सिंह अच्छेज, कॉमरेड कपिल प्रसाद आदि किसान मजदूर नेताओं ने सम्बोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में ज्यादातर छोटे किसान हैं। उनके पास खेती के साधनों की कमी है। डीजल, खाद, खरपतवारनाशक, बीज व यंत्रों की कीमतें बेतहासा बढ़ गई हैं। छोटी जोत पर खेती करना महंगा पड़ता है। ओलों व बरसात से भी फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। लागत ज्यादा और आमदनी कम होने से किसान कर्ज जाल में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए सरकार गेहूँ पर 250 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे।

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यूईए., करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष: 011-25726631, E-mail: sarvaharadrishtikon@yahoo.com; sarvaharadrishtikon@gmail.com